आर टी आई मामला/प्रथम अपील

सं. 14036/369/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 20/05/2013

आदेश

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत श्री हरपाल सिंह राणा द्वारा दायर अपील।

जबकि श्री हरपाल सिंह राणा, निवासी गांव-संसद, कादीपुर, दिल्ली-110036 ने अपने दिनांक 18.01.2013 के अपने आर टी आई आवेदन का उत्तर न दिए जाने के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत अपनी दिनांक 25.3.2013 की प्रथम अपील (इस अनुभाग में 25.4.2013 को प्राप्त) प्रस्तुत की है।

2. जबकि श्री हरपाल सिंह राणा का दिनांक 18.1.2013 का एक आर टी आई आवेदन प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतरण पर 6.3.2013 को इस अनुभाग में प्राप्त हुआ था जिसमें पूर्व वित मंत्री श्री सलमान खुर्शीद के बारे में सूचना मांगी गई थी जो काल्पनिक प्रश्नों से संबंधित है। तदनुसार, विषय-वस्तु की छानबीन की गई और यह महसूस किया गया कि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) के अंतर्गत 'सूचना' की परिभाषा में नहीं आती है। तथापि, उक्त आर टी आई का मामला दिल्ली पुलिस से संबंधित था, इसलिए इसे सूचना प्रदान करने के लिए आगे पुलिस उपायुक्त, दिल्ली पुलिस एवं लोक सूचना अधिकारी (पुलिस मुख्यालय), आई पी एस्टेट, नई दिल्ली को अंतरित कर दिया गया तथा दिनांक 15.3.2013 के पत्र सं. 14036/226/2013-यू टी पी (प्रति संलग्न) के तहत आवेदक को भी सूचित कर दिया गया था।

4. यदि आवेदक चाहे तो वह इस मामले में और कोई सूचना प्राप्त करने के लिए दिल्ली पुलिस में संबंधित लोक सूचना अधिकारी से अनुरोध कर सकता है। श्री हरपाल सिंह राणा द्वारा दायर अपील का निपटान किया जाता है।

भवदीय,

(के. के. पाठक)
संयुक्त सचिव (यू टी) एवं
अपील प्राधिकरी
दूरभाष सं. 23092514

सेवा में

श्री हरपाल सिंह राणा,
गांव संसद, कादीपुर
दिल्ली-110036

प्रतिलिपि- श्री नीरज कुमार, पुलिस आयुक्त, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए

(श्रीमती एस. सुधा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी पी-II)
दूरभाष :23092856

Issued with encl.
1495
5/6.

दिनांक- 25/3/13 क्रमांक- 13/3/45

Appl.-9dRTI/2013
12/4/13

08 APR 2013
338/SL

श्री मान,

प्रथम अपीलीय अधिकारी
गृह सचिव कार्यालय
गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक

विषय- सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत
प्रथम अपील

महोदय,

मैंने जानकारी लेने के लिए दिनांक-18-1-13 को आवेदन किया था आवेदन की प्रतिलिपि संलग्न है। प्रधान कार्यालय ने 18-2-13 को पत्र स्थानान्तरित किया लेकिन मुझे दिनांक-18-3-13 तक कोई जवाब, सूचना, पत्र नहीं दिया गया। अतः नियम अनुसार मुझे जानकारी हिन्दी में दिलवाई जाए।

Pl. trace

RTI

6.02.13
27.02.13

JS (Del...)

प्रेषक :-
हरपाल सिंह राणा
ग्राम संसद, कादीपुर, दिल्ली-36
फोन नं० 9654917600